राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःस्थाई भण्डार/सफाई ठेका/2016/477 दिनांक : 25/01/2016

निविदा सूचना सं.01/वर्ष 2016-17

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर "स्वास्थ्य भवन परिसर" के साफ-सफाई कार्य अनुमानित लागत 15.00 लाख रूपये (अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये मात्र) हेतु मोहरबन्द निविदाएं दि. 16.02.2016 को मध्यान्ह् 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

1. निविदाएं दिनांक 01.02.2016 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 16.02.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रूपये 1000/- अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र जमा कराकर प्रभारी अधिकारी स्थाई भण्डार से प्राप्त की जा सकती है।

2. निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक 16.02.2016 को दोपहर 1.00 बजे तक, समय प्राप्त निविदाऐं उक्त दिनांक 16.02.2016 को दोपहर 3.00 बजे कमैटी द्वारा खोली जावेगी।

3. निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 30,000/- नकद जमा की रसीद या डी.डी. /बैंकर चैक निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा करानी होगी।

4. निविदा का विस्तृत विवरण शर्ते आदि विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.dipr.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

5. निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित निविदा शुल्क के साथ दिनांक 16.02.2016 को मध्यान्ह् दोपहर 1.00 बजे तक जमा कराई जा सकती है। समय पश्चात् प्राप्त निविदाएं स्वीकार योग्य नहीं होगी।

6. निविदा के किसी भी भाग या उसके किसी भी अंश में संशोधन अथवा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पास सुरक्षित रहेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राज. जयपुर

D:\Store J 26.06.13\Store J\Tender Files\Tender 2015-16\Safai Tender 2015-16\Safai Tender 2016-17.doc

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

निविदा प्रपत्र –"अ"

सफाई ठेका

विषय : सफाई निविदा के लिए।

1. निविदा देने वाली फर्म का नाम,
पता मय दूरभाष नं.

2. फर्म का पंजीयन क्रमांक :

3. निविदा फार्म बिक्री का प्रारम्भ दिनांक 01.02.2016 कों प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 16.02.2016 को मध्यान्ह् 12.00 बजे तक

4. निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक 16.02.2016 दोपहर 1.00 बजे तक

5. निविदा खोलने की दिनांक 16.02.2016 को दोपहर 3.00 बजे

6. निविदा शुल्क का विवरण : राशि रुपये 1000/– नकद की रसीद संख्या....................... दिनांक ....डी.डी/बैंकर चैक संख्या...................................दिनांक.............................

7. अमानत राशि का विवरण रुपये राशि 30,000/– (अक्षरे तीस हजार मात्र) नकद की रसीद संख्या ....दिनांक.....................बैंक का नाम.. (डी.डी/बैंकर चैक प्रस्तुत करने पर)

संलग्न सभी शर्तो का मेरे द्वारा ध्यान पूर्वक अवलोकन कर लिया गया है। सभी शर्ते मान्य होने के कारण निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
ठेके की प्रस्तावित दर **प्रपत्र "ब" (वित्तीय बिड)** अलग से लिफाफे में बन्द कर चस्पा कर दी गई है।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय नाम, फर्म का नाम एवं
पता
फोन नं.
मोबाईल नं.

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

निविदा प्रपत्र अ

अनुबन्ध की शर्ते

नोट :– निविदाकार को निविदा में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तो को बहुत सावधानी पूर्वक पढना चाहिए। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निदेशक(जन स्वा0) से लिखित में अथवा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए। निविदा विभाग में प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी शर्त के संबंध में निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर का निर्णय अंतिम होगा। तथा वह निर्णय निविदाकार को मान्य होगा।

1. कोटेशन निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रुप से मोहरबंद दो अलग–अलग लिफाफों में {तकनीकी निविदा लिफाफा (अ) एवं वित्तीय निविदा लिफाफा (ब)} बंद करके भेजे जाने चाहिए। दोनों लिफाफें एक बडे लिफाफे में बंद करके रखे जाने हैं।
2. दरों की इकाईयो में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नही किया जाना चाहिए ओर दरे शब्दो के साथ–साथ अकों मे लिखी जानी चाहिए। यदि अंको एंव शब्दो में कोई भिन्नता रह जाती है, तो जो राशि न्यूनतम दर्शाई गई है वह मानी जावेगीं ।
3. निविदा उन व्यक्तियो/संस्थाओ द्वारा ही दी जानी चाहिए जो या तो वास्तव में उल्लेखित प्रकार के कार्यो के लिये अनुमोदित/अधिकृत है या जो वास्तव में उल्लेखित कार्यो को कर रहे है।
4. निविदाकार अपनी निविदा को सबलैट नही कर सकेगा।
5. उल्लेखित कार्य में आने वाले सभी साज व सामान जैसे फिनायल, रोमोकोल, फिनायल गोली, वाशिंग पाउडर, कोलीन, झाडू, पोंछा, डस्टर, साबुन, ब्रुश, एसिड, ओडोनील इत्यादि समस्त सामग्री की व्यवस्था निविदाकार अपने स्वयं के खर्चे से करेगा जिसके लिये उसे अलग से कोई भुगतान देय नही होगा।
6. उपयोग में लिया जाने वाला सम्पूर्ण साज व सामान उनके लिये निर्धारित विस्तृत विवरण व्यापार चिन्ह के अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा प्रमाणिक नमूनो से पूरी तरह मेल खाता हुआ होना चाहिए। कोई ऐसा साज सामान जिसके लिये कोई प्रमाणित नमूना न हो, उक्त सामान बाजार से उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ किस्म का होना चाहिए जिन सामानो को अस्वीकारा जाये या बदलवाया जावे एसी वस्तुओ की अस्वीकृति अथवा बदले जाने के कारण निविदाकार को कोई हानि हो तो उसके लिए विभाग किसी भी रुप में उत्तरदायी नही होगा। इस संबंध में निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।
7. संपादित किये जाने वाले कार्य स्थल पर निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई भी प्रतिनिधि उचित समय पर उपयोग में आने वाले/उपयोग में लिये जा रहे साज व सामान की जांच व परीक्षा करने में सक्षम होगा।

8. ठेकेदारो/निविदादाताओं को जिनको पूर्व में राजकीय कार्यालयों, अर्द्धशासकीय कार्यालयो, बहुमंजिला "ए" क्लास कम से कम 1,00,000 स्क्वा. फीट कवर्ड एरिया वाले भवनो तक सफाई कार्य करने का उत्कृष्ट अनुभव हो तथा अनुभव प्रमाण पत्र जो कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो, निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. निविदादाता फर्म द्वारा साफ–सफाई कार्य करने के लिए आईएसओ प्रमाणित होना अनिवार्य हैं। प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. **उपरोक्त सूचनाए मय साक्ष्यो के एक लिफाफे में जिस पर स्पष्टतया भाग "अ" –तकनीकी बिड " अंकित किया जावें, निविदादाता द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर अकिंत कर सीलबंद कर प्रस्तुत की जावे। भाग "अ" तकनीकी बिड तथा भाग "ब" वित्तीय बिड का लिफाफा अलग – अलग बनाया जावेगा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के लिफाफे अलग– अलग सील बंद कर तीसरे बड़े लिफाफे में एक साथ रख कर जमा किये जाने हैं।** प्रारंभ में "अ" अर्थात तकनीकी बिड ही खोली जावेगी एवं तकनीकी बिड में सफल रहने पर ही वित्तीय निविदा अर्थात भाग "ब" का लिफाफा खोला जावेगा।

11. निविदादाता/निविदाकार फर्म को किसी भी राजकीय कार्यालयों, अर्द्धशासकीय कार्यालयों/विभाग द्वारा कार्य में अयोग्य पाये जाने अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं किये जाने का प्रमाण फर्म के लेटर हैड़ पर शपथ के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (एसआर–11)

    (1) प्रथम (भाग "अ") लिफाफे में निविदा प्रपत्र एव शर्ते, अमानत राशि का ड्राफ्ट, कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र, ई.एस.आई., भविष्यनिधि, तथा श्रम विभाग में पंजीकरण के प्रमाण पत्र मय प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की छायाप्रति नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर सीलबंद कर डाले जावे लिफाफे पर तकनीकी बिड लिखा होना चाहिए।

    (2) निविदाकार फर्म द्वारा लगातार गत 2 वर्षो में न्यूनतम 21 कर्मचारियों का पी.एफ. ई.एस.आई. जमा कराने का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य हैं।

    (3) गत 2 वर्षो में फर्म का टर्नओवर न्यूनतम 10 लाख रूपये प्रति वर्ष होना अनिवार्य है तथा पेन कार्ड, ई.एस.आई. व सर्विस टैक्स पंजीयन एवं फर्म के पंजीयन आदि की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

    (4) निविदा प्रपत्र एवं शर्ते आदि इस विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.dipr.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्रस्तुत की जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र के निविदा शुल्क रूपये 1000/– का डी.डी./बैंकर चैक जो निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर के नाम जयपुर में भुगतान योग्य हो। तकनीकी बिड के लिफाफे 'अ' में संलग्न होना चाहिए, अन्यथा निविदा निरस्त करदी जावेगी।

12. प्रथम भाग निविदा प्रपत्र "अ" तकनीकी निविदा के साथ चाहे गये समस्त प्रमाण पत्र/दस्तावेजों की छायाप्रति नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर सलंग्न करना आवश्यक रूप से अनिवार्य हैं। चाहे गये दस्तावेज अथवा प्रमाण

पत्र निविदा के साथ संलग्न नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुए बिना पत्राचार के निविदाकार की निविदा को अयोग्य घोषित करते हुए अस्वीकार कर दिया जावेगा।

13. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अकिंत करेगा जहां उससे व्यक्तिगत डाक द्वारा संपर्क किया जा सके। यदि कार्य स्थल पर समुचित समय में वह स्वयं उपस्थित नही रहता है, तो उसके द्वारा अधिकृत उस व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्यालय पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु संपर्क स्थापित किया जा सके।

14. समस्त दरें, कर आदि यदि कोई हो तो सम्मिलित करते हुये होगी। निविदा में वर्णित दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई भुगतान विभाग द्वारा नही किया जावेगा।

15. कार्यो का संपादन एवं साज सामानो का उपयोग विभाग की दृष्टि से संतोषजनक रुप से किये जाने का प्रमाण पत्र लेकर मासिक विपत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा जिसके अभाव में भुगतान नही किया जावेगा।

16. स्वयं निविदाकार अथवा उसके द्वारा नियोजित श्रमिको के द्वारा विभाग की चल व अचल सम्पत्ति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से कोई क्षति पहुचायें जाने की स्थिति में नुकसान की पूर्ती निविदादाता से कराई जावेगी।

17. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक्र को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा पार्टनरशिप डीड निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

18. निविदाकार जहां कहीं आवश्यक हो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औधागिक विवाद अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत प्रवृत्त नियमों व निर्देशो का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध मे विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अन्तर्गत निविदाकार के किसी दायित्व का भुगतान यदि विभाग को किन्ही परिस्थतियो में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली निविदाकार से की जावेगी।

19. यदि निविदाकार के कार्य से निदेशालय के किसी अनुभाग में कोई भी शिकायत आने पर सही पाई गई, तो ठेकेदार के बिल भुगतान में से, शिकायत की गंभीरता के अनुरुप राशि काट ली जावेगी।

20. अनुबंध प्रारम्भ में 1 वर्ष के लिये होगा जिसकी अवधि स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक होगी। विभाग चाहे तो अनुबंध को निविदा की शर्तो के आधार पर आरटीटीपी नियमानुसार और वृद्धि विभाग के स्वविवेकानुसार की जा सकती है।

21. निविदाकार को निविदा और अनुबंध की शर्तो और प्रतिबंधो की स्वीकृति के प्रतीक स्वरुप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में पूर्ण हस्ताक्षर करने चाहिए ।

22. निविदा के साथ धरोहर राशि विभाग में नकद जमा की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में होना चाहिए जिसके बिना निविदा पर विचार नही किया जावेगा। धरोहर राशि निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में होने चाहिए। निविदा स्वीकार की स्थिति में उक्त धरोहर राशि जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	धरोहर राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	स्वास्थ्य भवन का सफाई कार्य	30,000/-	1000/-

23. सफल निविदाकार/निविदाकारो को निर्धारित प्रारुप में 1000/- रू के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार निष्पादित करना होगा और संविदा की यथावत क्रियान्विति के लिए अनुबंध राशि का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रुप में करार पर हस्ताक्षर से पूर्व जमा करवाने होगे। प्रतिभूति की रकम समस्त अनुबंध को सफलता पूर्वक पूर्ण होने की स्थिति में लौटादी जावेगी। ऐसी प्रतिभूति की रकम पर विभाग द्वारा कोई ब्याज नही दिया जावेगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्ययों का संदाय निविदाकार करेगा, विभाग द्वारा निविदाकार को स्टाम्प लगे हुये निष्पादित करार की एक सत्यापित प्रति निशुल्कः दी जावेगी। यदि निविदाकार प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या निहित कालावधि में करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है, तो इस प्रकार विफल रहने की स्थिति में धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि विभाग द्वारा पूर्णतः या अशतः जमा जब्त कर ली जावेगी और इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
24. निविदाकार या उसके प्रतिनिधियो की ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की जाने वाले संवाचना के कारण संविदा अमान्य हो जावेगी।
25. निविदाकार निविदा के साथ अपरिहार्य रुप से संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से प्राप्त आयकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, परन्तु निविदाकार के लिखित निवेदन पर जिसमें विभाग के पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो तो करार के समय तक प्रस्तुत करने की छूट विभाग दे सकता है।
26. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा विभाग मे प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से तीन माह की समय अवधि तक वैध (वैलिड) होगी। इस तीन माह की अवधि में निविदाकार अपनी निविदा को वापिस नही ले सकेगा। विभाग द्वारा निविदा स्वीकार किये जाने की सूचना के बाद एक सप्ताह की समयावधि में निविदाकार को उपरोक्त शर्त के अनुसार प्रतिभूति राशि जमा करके करार का निष्पादन करना होगा।
27. अनुबंध की समस्त शर्तो की पालना के अधीन, ठेकेदार को सही प्रारुप में व तीन प्रतियो में मासिक तौर पर बिल प्रस्तुत करने पर विभाग कैश/ चैक ड्राफ्ट के जरिये भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। मासिक बिल ठेके की पूर्ण राशि का बारहवां भाग होगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। ठेकेदार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत पर कर के रुप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जावेगी। ठेकेदार के आवेदन पर विभाग आयकर कटोती का प्रमाण पत्र जारी करेगा।
28. समस्त कानूनी कार्यवाही का क्षेत्र ,जयपुर स्थित न्यायालयों का होगा।

29. स्वास्थ्य भवन परिसर में स्वास्थ्य भवन के समस्त ए, बी, सी, डी ब्लॉक,/एनआरएचएम, आरएमएससी/एड्स भवन, वाहन चालक प्रतिक्षालय व परिसर का समस्त क्षेत्र सम्मिलित है। जिसमे उक्त ब्लॉक्स के कमरे, बरामदे, कॉन्फ्रेन्स हॉल, मीटिंग हॉल, शौचालय, प्याउ, सीढीयां, लिफ्ट रुम, छत, सडक, फुटपाथ, कार एव मोटरसाईकिल स्टेन्ड, बगीचे, बाहरी खाली पडा क्षेत्र समस्त सीवरेज व ड्रेनेज नालियां, छते, दीवारे, दरवाजे, खिडकियां, कॉच, जालियां, पर्दे, पंखे, ट्यूबलाईट, अलमारियां, पीकदान, थूकदान, समस्त पानी की टंकियां इत्यादि सम्मिलित है तथा स्वास्थ्य भवन परिसर में समय–समय पर होने वाले निर्माण (भवन/कक्ष) के पूर्ण होने पर उसकी साफ–सफाई का कार्य भी सम्मिलित है।
30. ठेकेदारो द्वारा प्रतिदिन कम से कम 20 सफाई श्रमिकों एवं 1 सुपरवाइजर को कार्य पर लगाना आवश्यक होगा। निरीक्षण करने पर यदि श्रमिक की संख्या कम पाई गई तो प्रति दिन देय राशि में, कम संख्या पाये गये श्रमिको का वेतन कम कर दिया जायेगा एवं 5 प्रतिशत राशि अलग से माहवार राशि में से कम कर भुगतान किया जावेगा।
31. स्वास्थ्य भवन का सम्पूर्ण सफाई कार्य प्रतिदिन प्रातः 9 बजे तक पूरा करना होगा। प्रातः 9 बजे तक सफाई कार्य पूर्ण न होने की दशा में विभाग द्वारा 1000–/ प्रति दिन का जुर्माना लगाया जावेगा। उपरोक्त जुर्माना राशि ठेकेदार के मासिक बिल में से काट ली जावेगी।
32. प्रातः 8.00 बजे से सायं 6 बजे तक सभी सफाई श्रमिक मय वर्दी में जिस पर नेम प्लेट का वेज भी लगा होगा उपस्थित रहेगे तथा स्वास्थ्य भवन की सफाई को नीट क्लीन रखेगें।
33. स्वास्थ्य भवन की समस्त सीढीयों, स्वागत कक्ष, लिफ्टो, बरामदे, पोर्च तथा पोर्च की सीढीयो की सफाई व पोछा दिन में दो बार करना होगा।
34. स्वास्थ्य भवन के समस्त कमरो, दरवाजो, खिडकियो, जालियों, शीश के दरवाजे, आदि की सफाई व पोछा दिन में एक बार आवश्यक रुप से करना होगा।
35. स्वास्थ्य भवन के समस्त कचरा पात्रो, पीकदान/थूकदान आदि की सफाई प्रतिदिन करनी होगी तथा उसमे मिटटी/राख भी प्रतिदिन डालनी/बदलनी होगी।
36. स्वास्थ्य भवन की समस्त सडको, फुटपाथों, भवन के चारो और की रेलिंग के अन्दर, परिसर, कार व स्कूटर स्टैण्ड, कैन्टीन व सफाई आवश्यक होने पर धुलाई प्रतिदिन करनी होगी तथा स्वास्थ्य भवन के जिन कमरो में फ्लोर टाईल्स लगी हुई है उनमे प्रतिदिन पोंछा लगाना होगा।
37. स्वास्थ्य भवन की छत, पानी निकासी के पाईप, लिफ्ट रुम की सफाई माह में दो बार करनी होगी।
38. स्वास्थ्य भवन में संवेदनशील क्षेत्रो कोरीडोर मा0 मंत्री जी के कक्ष, निदेशक महोदय के कक्ष, कान्फ्रेन्स व मीटिंग हॉल, लाईब्रेरी, ई.पी.ए.बी.एक्स कम्प्यूटर सर्वरकक्ष आदि की सफाई आधुनिक सफाई यंत्रो से प्रतिदिन करवानी होगी।
39. स्वास्थ्य भवन के समस्त ट्यूबलाईट फिक्सचर, पंखो, मरकरी, लाईट व विधुत ट्रांसफार्मर कक्ष की सफाई माह में एक बार आवश्यक रूप से करनी होगी।
40. स्वास्थ्य भवन में मच्छरो इत्यादि के लिये कीटनाशक दवाई, (फिनाइल) का प्रयोग सांय 6–7 बजे प्रतिदिन करना होगा तथा चूहो की रोकथाम की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

41. स्वास्थ्य भवन के समस्त पुराने व आधुनिक प्रकार के पर्दो की सफाई ब्रुश व वैक्यूम क्लीनर से माह में दो बार आवश्यक रूप से करनी होगी।

42. स्वास्थ्य भवन में राजकीय अवकाश के दिन बरामदो, सीढियों, शोचालयों तथा चोपहिया वाहन व स्कूटर स्टैण्डो की सफाई व धुलाई का कार्य करना होगा।

43. स्वास्थ्य भवन में जाले हटाने का कार्य सप्ताह में एक बार तथा अवश्यक हो तो तुरन्त करना होगा।

44. स्वास्थ्य भवन के कमरो, बरामदो, एव परिसर में से पुराना रिकार्ड, नया पुराना फर्नीचर अलमारिया, कूलर व अन्य सामान को हटाना या उपर नीचे निर्दिष्ट स्थानो पर लाने व ले जाने का कार्य भी केयर टेकर के निर्देशानुसार करना होगा। इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।

45. स्वास्थ्य भवन के कमरो/अनुभागों व बरामदो में रखे बस्तों/रिकार्ड अलमारियो, रेक्स पर जमी डस्ट/धूल व जाले सप्ताह में एक बार साफ करने होगे।

46. स्वास्थ्य भवन में सफाई करने के बाद समस्त कूडा करकट व कचरे को भवन के बाहर नगर निगम द्वारा बताये गये उचित स्थान पर डलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

47. ठेकेदार को निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा दी गई समस्त हिदायतो/निर्देशों का अनुबंध में समावेश नही होने पर भी पालना करनी होगी।

48. ठेकेदार द्वारा कार्य नही करने पर या संतोषजनक कार्य नही करने पर निम्न प्रकार से कटौतिया की जावेगी।

(क) किसी दिन पूर्ण कार्य नही करने पर उस दिन का भुगतान नही किया जावेगा एवं 2000/– रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ती लगाई जावेगी।

(ख) आंशिक रुप से कार्य करने पर उस दिन के भुगतान में से 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी एवं 1000/– रुपयो की शास्ती लगाई जावेगी।

49. सफाई कार्य के विवरण में दिये गये सफाई कार्य को करते समय यदि किसी सफाई श्रमिक की मृत्यू हो जाती है या श्रमिक किसी भी रुप से अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके लिये मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नही होगा एवं ना ही विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार होगा।

50. ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य में लगे समस्त श्रमिको का नाम, पता, व एक फोटो कार्य प्रारम्भ करने के समय से ही विभाग को आवश्यक रुप से उपलब्ध करायेगा तथा श्रमिक के बदले जाने या नये लगाये जाने पर भी नाम, पता व फोटो उपलब्ध करवाई जावेगी।

51. ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य के निरीक्षण एवं विभाग से कोआर्डिनेशन हेतु एक सुपरवाईजर नियुक्त किया जावेगा जो प्रति दिन प्रातः 8.30 बजे से सांय 6 बजे तक कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

52. ठेकेदार को समय समय पर सफाई व्यवस्था सुचारु रुप से करने की हिदायत दिये जाने के बाद यदि सुधार नही हुआ तो एक माह का नोटिस दिया जाकर ठेके को समाप्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वास्थ्य) को होगा।

53. स्वास्थ्य भवन में शौचालयों में लगे समस्त शॉफ्टों, ड्रेनेज पाइपों, सीवर लाईन जो कि योजना भवन से नगर निगम के मुख्य नाले तक जाती है वहां तक व मैनहोल की सफाई सप्ताह में एक बार करनी होगी तथा चोक/बन्द हो जाने पर उसी समय ठेकेदार द्वारा नगर निगम से सीवर लाईन खोलने की जेट मशीन मंगवाकर ठेकेदार

द्वारा अपने खर्चे पर खुलवानी होगी तथा तोड़–फोड़ की मरम्मत भी ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर करवानी होगी।

54. निविदा के किसी भी भाग में आंशिक अथवा पूर्णतयः संशोधन अथवा निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वा.) के पास सुरक्षित रहेगा।

55. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। निविददाता के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

56. निंविदा की शर्तो में सन्देह की स्थिति में सामान्य वित्त एंव लेखा नियम, एवं RTPP ACT- एवं RTPP Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होगें।

57. The Designation and address of the First Appellate Authority is Joint Seceratry Medical & Health (Group-II) Dept., Rajasthan Jaipur, Govt. of Rajasthan. The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Medical & Health Deptt., Govt. of Rajasthan, Jaipur.

निविदा सूचना सं. 01/वर्ष 2016–17 के संदर्भ में स्वास्थ्य भवन परिसर के साफ–सफाई कार्य व्यवस्था की जो शर्ते आपके द्वारा रखी गई है जो कि समस्त शर्ते हम स्वीकार करते है, अतः प्रत्येक पृष्ठ पर हमने शर्तो का पालन करने हेतु हस्ताक्षर कर दिये है तथा हमारे द्वारा प्रस्तुत समस्त छायाप्रतियां स्वयं द्वारा/राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित करा दी गई हैं। उक्त निविदा में हमारे द्वारा प्रस्तुत कोई भी तथ्य गलत पाया जाता हैं तो हमारी निविदा अस्वीकार/अयोग्य घोषित कर दी जायें।

हस्ताक्षर निविदादाता नाम, फर्म का नाम,
मय पता फर्म की मोहर
दूरभाष सं.

....
....
....

प्रपत्र "अ"
तकनीकी बिड
सफाई व्यवस्था के अनुभव का विवरण

विभाग/संस्थान का नाम	राजकीय/अर्द्धशासकीय	अवधि कार्यादेश की प्रति संलग्न करें	दिनांक से दिनांक तक	क्या वर्तमान में इस विभाग/संस्थान में कार्य किया जा रहा है। (हॉ/नही)	कार्य संतोषप्रद का प्रमाण पत्र संस्थान के मुखिया द्वारा जारी होना चाहिये संलग्न करे

उदाहरण जैसे :—

विभाग/संस्थान का नाम	राजकीय/अर्द्धशासकीय	अवधि कार्यादेश की प्रति संलग्न करें	दिनांक से दिनांक तक	क्या वर्तमान में इस विभाग/संस्थान में कार्य किया जा रहा है। (हॉ/नही)
सचिवालय	राजकीय	1 वर्ष	1.1.2014 से 31.12.2014	नही

हस्ताक्षर निविदाता
मय नाम..................................
पता..
मोहर

(एस.आर.–11)

शपथ–पत्र (निविदादाता द्वारा फर्म के लेटर हेड़ पर)

1. यह कि मैं/हम...
मैसर्स (फर्म का पूरा नाम एवं पता) ....
का एक भागीदार/एक मात्र मालिक हूँ तथा शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करते हैं कि :–

2. यह कि निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर स्वास्थ्य भवन परिसर के साफ–सफाई कार्य निविदा सूचना संख्या 01/वर्ष 2016–17 हेतु मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ/दस्तावेज पूर्णतयः सही हैं तथा कोई भी जानकारी अथवा दस्तावेज गलत पाये जाने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी हमारी/हमारी फर्म की होगी।

3. मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किंया जाता हैं कि मेरी/हमारी फर्म को आज दिनांक तक केन्द्र सरकार के कार्यालय/राज्य सरकार के कार्यालय अथवा किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय/उपक्रम द्वारा कार्य में अयोग्य पाये जाने के फलस्वरूप अयोग्य अथवा ब्लेकलिस्टेड .नहीं किया गया हैं।

4. मैं/हम घोषणा करते है कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना सत्य है। यदि असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रुप से समाप्त/जप्त कर दिया जाये तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्ध कर दिया जावे। हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा में कोई भी तथ्य/दस्तावेज गलत अथवा असत्य पाया जाता हैं तो विभाग को एकतरफा कार्यवाही करते हुए हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए हमारे द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर

नाम मालिक/भागीदार ....

फर्म का नाम एवं पूर्ण पता मय मोहर

दूरभाष सं.

प्रपत्र "ब"

वित्तीय बिड़ **(अलग से लिफाफे में बंद की जानी हैं)**

शर्तो में चाहे गये समस्त कागजात/प्रमाणपत्र निविदा प्रपत्र "अ" के साथ संलग्न किये जाने चाहिये।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम. ....
पूरा पता..
दूरभाष कार्यालय एवं निवास
....
मोबाईल न0 ....

"वित्तीय निविदा" निविदा प्रपत्र "ब"

अलग लिफाफे में सील करके बंद की जानी है।

स्वास्थ्य भवन की सफाई का ठेका वर्ष 2016–2017 की अवधि के लिए

सफाई की दरे भरकर ठेकेदार हस्ताक्षर करे तथा इस प्रपत्र को अलग लिफाफे में डालकर सील बंद करे एवं लिफाफे पर मोटे अक्षरो में वित्तीय बिड (ठेके की दरे) अकिंत करे।

फर्म का नाम..
फर्म का पता ....
....
....
स्वास्थ्य भवन परिसर के सफाई कार्य की दरें रुपये...
प्रतिमाह (अक्षरे रुपये..
प्रतिमाह) समस्त कर

S.No	Type	Rate per Month	Qty.	Unit Cost Per Month	Total
1.	सुपरवाइजर				
2.	सफाईकर्मी				
3.	सफाई का सामान				
Sub Total					

नोट :– ठेके की प्रस्तावित दर अकों व शब्दो में समान होनी चाहिए तथा किसी प्रकार की कांट–छांट नही होनी चाहिये। अकों व शब्दो में राशियो में अन्तर होने पर अथवा कांट–छांट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम, पूर्ण पता
मय मोहर